20.9.22 वकील प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से पत्रावली सिगह से तलब की गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कोशा० पठ किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे बताया गया कि प्रार्थिया एव अप्रार्थी के बीच आपसी राजीनामा हो चुका है, प्रकरण मे अब आगे कोई कार्यवाही नही चाहते है। अतः प्रकरण इसी स्तर पर ड्रोप किया जावे।

मैने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मनन किया तथा प्रकरण का अवलोकन किया। न्यायहित मे वकील प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है। प्रार्थिया एव अप्रार्थी के बीच आपसी राजीनामा हो जाने से प्रकरण इसी स्तर पर ड्रोप किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा